

प्रेस-विज्ञप्तिथाना- पवईकिशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त पवन को हुयी आजीवन कारावास की सजा।

थाना पवई के वादी मुकदमा की लड़की/पीड़िता जो कक्षा 09 की छात्रा है, जिसकी उम्र करीब 14 वर्ष है। वादी की लड़की/पीड़िता दिनांक- 17.05.2015 को अभियुक्त पवन कुमार सिंह द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले गया था, के सम्बन्ध थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक-06.06.2022 को विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) मा0 न्यायालय, आजमगढ़ द्वारा थाना पवई पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 65/15 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त पवन कुमार सिंह पुत्र विरेन्द्र बहादुर सिंह, निवासी मनसापुर थाना महरूआ, जनपद अम्बेडकर नगर को धारा 376 (3) भादवि में आजीवन कारावास तथा मु0 50 हजार रुपये के अर्थ दण्ड, धारा 366 भादवि में 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 30 हजार रुपये के अर्थ दण्ड तथा धारा 363 भादवि में 07 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थ दण्ड, से दण्डित किया गया है।

थाना कोतवाली01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की चैन को बेचकर कुल 20 हजार रुपये बरामद।

दिनांक- 05.06.2022 को उ0नि0 विजय प्रताप सिंह चौकी प्रभारी एलवल मय हमराह कर्मचारीगण द्वारा कालीचौरा तिराहे के पास से मु0अ0सं0 257/22 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़ से सम्बन्धित मो0सा0 UP50AM6107 पर सवार व्यक्ति जिसके द्वारा चैन चोरी की गयी थी खड़ा है। मौके पर पहुँचकर मो0सा0 UP50AM6107 पर सवार अभि0 नौशाद पुत्र मोबीन अहमद निवासी ग्राम छाऊ थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ को तश्दीक कर समय 17.10 बजे गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ कि गयी तो अभियुक्त द्वारा बताया गया कि पूर्व में हुई कालीचौरा तिराहे व चर्च चौराहे के पास हुई चैन चोरी की घटना भी अभि0 नौशाद उपरोक्त द्वारा ही की गयी है जिसे बेचकर जिविकोत्पार्जन करता है। अभि0 के पास से चैन बिक्री के कुल 20,000 रू0 बरामद किया गया। अभि0 के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण –

1. मु0अ0सं0 257/22 धारा 379/411 थाना कोतवाली आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 239/22 धारा 379/411 थाना कोतवाली आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 166/22 धारा 379/411 थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

नौशाद पुत्र मोबीन अहमद निवासी ग्राम छाऊ थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ उम्र 33 वर्ष।

बरामदगी –

एक अदद चैन बिक्री का 15,000 रू0।

एक अदद चैन बिक्री का 15,00 रू0।

एक अदद चैन बिक्री का 3500 रू0।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

उ.नि. श्री विजय प्रताप सिंह चौकी प्रभारी एलवल कोतवाली

हे. का. योगेन्द्र नाथ यादव थाना कोतवाली

का. राज कुमार यादव थाना कोतवाली

थाना- फूलपुर

दो देशी तमंचा, दो जिन्दा कारतूस व चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 02 गिरफ्तार

दिनांक 06.06.2022 को उ0नि0 हीरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह का0 अरविन्द तिवारी , का0 विनोद कुमार यादव के खाना होकर देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित अभियुक्त व रोकथाम जूर्म जरायम में जगदीशपुर तिराहा फूलपुर सरायमीर रोड़ से चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन से मय एक किता फर्द मय बरामदशुदा एक अदद मो0सा0 सीजशुदा व गिरफ्तार शुदा 02 नफर अभियुक्त 1. पाचू मण्डल पुत्र बेचन मण्डल उम्र करीब 25 वर्ष नि0- महाराजपुर नया टोला थाना –तेलझारी जिला साहबगंज (झारखण्ड) 2. अर्जुन महतो पुत्र प्रताप महतो उम्र 19 वर्ष नि0- मीना बाजार महाराजपुर थाना-तेलझारी जिला –साहबगंज(झारखण्ड के पंजीकृत विवेचना उ0नि0 श्री अशोक कुमार मौर्या थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत कर विवेचना सम्पादित की जा रही है।

सम्बन्धित मुकदमा –

मु0अ0सं0 196/2022 धारा 411 भादवि थाना फूलपुर, आजमगढ़ ।

मु0अ0सं0 197/22 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना फूलपुर, आजमगढ़

मु0अ0सं0 198/22 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना फूलपुर, आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1. पाचू मण्डल पुत्र बेचन मण्डल उम्र करीब 25 वर्ष नि0- महाराजपुर नया टोला थाना –तेलझारी जिला साहबगंज (झारखण्ड)
2. अर्जुन महतो पुत्र प्रताप महतो उम्र 19 वर्ष नि0- मीना बाजार महाराजपुर थाना-तेलझारी जिला –साहबगंज(झारखण्ड)

बरामदगी-

दो अदद देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

एक अदद चोरी की मोटर साइकिल संख्या UP-54 J 4249

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 हीरेन्द्र प्रताप सिंह का0 अरविन्द तिवारी का0 विनोद कुमार यादव थाना फूलपुर, आजमगढ़

थाना- गम्भीरपुर

बड़े पिता की चाकू मारकर हत्या करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 02.6.2022 को श्री अंकित यादव s/o दयाराम यादव मुल निवासी ग्रा0 फैजुल्लापुर थाना गम्भीरपुर द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि मेरे पिता दयाराम अकेले गाँव पर रहते है दिनांक 01.06.22 को समय करीब 08.30 बजे रात मैजिक को खडा करने की बात को लेकर मेरे बड़े पिता हरिश्चन्द्र यादव और उनका लड़का गुलशन यादव मिलकर गाँव के ही जवाहिर चौहान की साजिश से चाकू मारकर हत्या कर दिए है जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 183/22 धारा 302/120बी भादवि पंजीकृत विवेचना थानाध्यक्ष गम्भीरपुर द्वारा सम्पादित की जा रही थी।

दिनांक- 06.06.2022 को थानाध्यक्ष राम प्रसाद बिन्द मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त हरिश्चन्द्र यादव व लड़का अश्वनी यादव उर्फ गुलशन निवासीगण फैजुल्लाहपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ को सदाफल तिराहा मोहम्मदपुर के पास से समय करीब 07.50 बजे गिरफ्तार किया गया बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 183/22 धारा 302/120बी भादवि व 4/25 आयुध अधि0 थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1- हरिश्चन्द्र यादव पुत्र रामबचन यादव निवासी फैजुल्लाहपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ उम्र 50 वर्ष

2- अश्वनी यादव उर्फ गुलशन पुत्र हरिश्चन्द्र यादव निवासी फैजुल्लाहपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम.....

थानाध्यक्ष रामप्रसाद बिन्दु थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
का.नीरज कुमार यादव थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
का. सौरभ सरोज थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
म.का. उमा वर्मा थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

थाना- फूलपुर
गैंगेस्टर एक्ट में एक गिरफ्तार

दिनांक 05.04.2021 को निरीक्षक अपराध रूद्रभान पाण्डेय मय हमरहियान द्वारा मु0अ0सं0 189/2022 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त लालमुहम्मद उर्फ लल्लू पुत्र हाजीहसन साकिन मुडियार थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष को रेलवे स्टेशन खोरासन रोड से समय करीब 11.05 बजे दिन अभि0 के घर से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

सम्बन्धित मुकदमा -

मु0अ0सं0 189/2022 धारा (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 थाना फूलपुर
जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास-

1. लालमुहम्मद उर्फ लल्लू पुत्र हाजीहसन साकिन मुडियार थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	279/2019	34,307,336 भादवि 3/5क/8 गोवध निवा0 अधि0 व 11 पशुक्रुता अधि0	फूलपुर	आजमगढ़
2.	134/2020	3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़
3.	01/2021	307 भादवि व 3/25 आर्मस एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़
4.	48/21	3/5/ए/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रु अधि0	थाना फूलपुर	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. लालमुहम्मद उर्फ लल्लू पुत्र हाजीहसन साकिन मुडियार थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम-

1. निरी0 अप0 रूद्रभान पाण्डेय का0 राजेश कुमार म0का0 प्रीती तिवारी म0का0 संजू सरोज थाना फूलपुर आजमगढ़

थाना अतरौलिया

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार।

1. पूर्व का विवरण- अभियुक्त सौरभ यादव निवासी महरूपुर थाना अतरौलिया जिला आजमगढ़ द्वारा वादिनी/पीड़िता से शादी करने के नाम पर शारीरिक सम्बन्ध बनाया तथा वादिनी द्वारा शादी करने को कहने पर गाली देते हुए मारा पीटा व जान से मारने की धमकी दिया व उसके पिता द्वारा घर पर जाकर शिकायत किया तो हरिवंश पुत्र रामलखन, निर्मला पत्नी हरिवंश, व्यूटी पुत्री हरिवंश, गोल्डी पुत्री हरिवंश ने वादिनी के पिता को गाली देते हुये मारपीट किये तथा जान से मारने की धमकी देकर भगा दिये। के सम्बन्ध में दिनांक 04.06.2022 को मु0अ0सं0 191/22 धारा 376/323/504/506 IPC थाना अतरौलिया जिला आजमगढ़ बनाम 1. सौरभ यादव पुत्र हरिवंश 2. हरिवंश पुत्र रामलखन 3. निर्मला पत्नी हरिवंश 4. व्यूटी पुत्री हरिवंश 5. गोल्डी पुत्री हरिवंश उपरोक्त के पंजीकृत किया गया था।

2. गिरफ्तारी का विवरण:- दिनांक 06.06.22 को उ0नि0 रविन्द्र प्रताप यादव मय हमराही मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सौरभ यादव पुत्र हरिवंश उम्र 20 वर्ष निवासी महरूपुर थाना अतरौलिया जिला आजमगढ़ को समय 07.20 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 191/22 धारा 376/323/504/506 IPC थाना अतरौलिया आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सौरभ यादव पुत्र हरिवंश निवासी महरूपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

पूर्व का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 161/21 धारा 323/325/504 IPC थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 191/22 धारा 376/323/504/506 IPC थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. उ0नि0 रविन्द्र प्रताप यादव, 2. का0 विनय प्रताप सिंह 3. का0 आनन्द कुमार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

थाना- देवगांव

दो कुंतल 45 किलो ग्राम प्रतिबंधित मांस के साथ दो गिरफ्तार, प्रतिबंधित मांस को काटने वाले उपकरण भी बरामद।

दिनांक- 06.06.2022 को उ0नि0 उमेशचन्द यादव मय हमराह के चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन मे लालगंज बैरीडीह मोड के पास मौजूद थे, सूचना मिली की नरायनपुर नेवादा (सरपताहिया) गाव के मो0 गालिब के घर के पीछे स्थित खडहर मे कुछ कसाई गोवंश को वध करके उसके मांस के टुकडे कर उसको बोरियो मे रखकर कही बाहर ले जाकर बेचने की फिराक में है। यदि शीघ्रता की जाय तो रंगे हाथो पकडे जा सकते है है कि इस सूचना पर तत्काल उ0नि0 मय हमराह पुलिस बल उपरोक्त स्थान के लिए प्रस्थान कर मो0 गालिब के घर के पीछे की ओर स्थित खण्डहर दीवाल की पीछे कसाईगण गाय का वध कर रहे है। पुलिस वालो ने एक बारगी दबिश दिया कि अपने हाथ मे चापड व चाकू से पाच छः लोगो ने पुलिस वालो के उपर जान मारने की नीयत से प्रहार कर दिया हम लोग किसी तहर बच गये। दो व्यक्तियो को चाकू व चापड के साथ पकड लिया गया बाकी अंधेरे का लाभ उठाकर खेतो व बाग की ओर से भागने मे सफल रहे। पकडे गये व्यक्तियो का क्रमशः नाम व पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो एक ने अपना नाम मो0 उमर पुत्र मोबीन निवासी नरायनपुर नेवादा थाना देवगाव जनपद आजमगढ बताया की जामा तलाशी ली गयी तो दाहिने हाथ मे एक अदद चाकू बरामद हुआ तथा हमलाक अहमद उर्फ मुन्नु पुत्र एकलाख अहमद निवासी नरायनपुर नेवादा थाना देवगाव आजमगढ बताया जामा तलाशी से दाहिने हाथ मे एक चापड लोहे के साथ अभियुक्तगण हमलाक अहमद उरफ मुन्नु व मो0 अमर उपरोक्त को समय करीब 02.35 बजे गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 177/2022 धारा 307 भा0द0वि0 व 3/5/8

गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

अभियोग पंजीकृत –

मु0अ0स0 177/2022 धारा 307 भा0द0वि0 व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम

गिरफ्तारी का स्थान - नरायणपुर नेवादा , दिनांक 06.06.2022, समय 02.35 बजे

बरामदगी-

02 कुन्तल 45 किग्रा गोमांस , एक राशि सफेद रंग की बछिया

2 अदद लकडी का ठेहा, 4 अदद लोहे का चापड , 02 अदद मांस व चमडा छीलने वाली चाकू व 02 अदद रेती लोहे की

गिरफ्तार शुदा व्यक्ति का नाम पता—

(1) मो0 उमर पुत्र मोबीन निवासी नरायणपुर नेवादा थाना देवगाव जनपद आजमगढ

(2) हमलाक अहमद उर्फ मुन्नु पुत्र एकलाख अहमद निवासी नरायणपुर नेवादा थाना देवगाव आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली टीम –

(1) उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव, का0 दिनेश सोनकर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ

(2) हे0का0 हरेन्द्र सिंह का0 विनोद कुमार का0 भानू यादव का0 अखिलेश गौड थाना देवगाँव जनपद आजमगढ